न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला—जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर०ए०एस०**

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 19/2020

—: प्रार्थीगण :—

1. डूंगरराम पुत्र कालुराम
2. रेवाराम पुत्र कालुराम
3. प्रकाश पुत्र कालुराम
4. हेमाराम पुत्र कालुराम
5. जगदीश पुत्र कालुराम
6. कैलाश पुत्र कालुराम
7. चम्पादेवी पत्नी कालुराम
8. कंचन पुत्री कालुराम
9. मांगीलाल पुत्र गाडुराम
10. तिलाराम उर्फ तिलिया पुत्र भोलाराम
11. रामदीन पुत्र गाडुराम
12. उदाराम पुत्र रूपाराम
13. प्रेमप्रकाश पुत्र रूपाराम
14. जसाराम पुत्र रूपाराम
15. कमला पुत्र रूपाराम
16. संतोष पुत्री रूपाराम
17. हपलीदेवी पत्नी रूपाराम
18. रामचन्द्र पुत्र मोतीराम
19. मोहनराम पुत्र मोतीराम
20. लालाराम पुत्र मोतीराम
21. बाबुड़ी उर्फ बाउड़ी पुत्री मोतीराम

जातियान मेघवाल निवासी देवनगर पोस्ट खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

—: अप्रार्थीगण :—

1. तहसीलदार भोपालगढ़
2. नन्दूराम पुत्र खेराजराम
3. नेमाराम पुत्र मंगलाराम
4. कुनाराम पुत्र मंगलाराम
5. नरसिंगराम पुत्र मंगलाराम
6. भल्लाराम पुत्र मंगलाराम
7. देवाराम पुत्र भैराराम के कायम मुकाम—
   - 7/1. रामकिशोर पुत्र देवाराम
   - 7/2. जेठाराम पुत्र देवाराम
   - 7/3. प्रहलादराम पुत्र देवाराम
   - 7/4. प्रभुराम पुत्र देवाराम
8. मादाराम पुत्र भैराराम
9. गेवरीया उर्फ घेवरराम पुत्र भोलाराम

जातियान मेघवाल निवासी ग्राम देवनगर तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री राकेश कुमार रलिया, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 02 से 06, 7/1 से 7/3 एवं 08,09
3. अप्रार्थी संख्या 7/4 के विरूद्ध [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:09 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::— 30/[illegible]/2021

वकील प्रार्थीगण ने एक [illegible] अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत [illegible] पेश किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 09 की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम देवनगर

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 306 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नं. 308 रकबा 0.11 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा की भूमि के पड़ौस में अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा नं. 307, 305, 341, 304, 204/1 व 205/1 व संलग्न नक्शे में दर्ज अनुसार भूमि आयी हुई है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमा को आगे पीछे कर खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया, इसलिये प्रार्थीगण ने तहसीलदार भोपालगढ़ के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि सीमाज्ञान करवाये जाये तथा पत्थरगढ़ी की जावे। प्रार्थीगण की इस खातेदारी की कृषि भूमि की पैमाईश प्रार्थीगण के आवेदन पर तहसीलदार भोपालगढ़ के आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश की गयी। प्रार्थीगण अपनी इस खातेदारी भूमि में पैमाईश अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। स्थाई मुटाम नही होने के कारण प्रार्थीगण की भूमि पर पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण आये अतिक्रमण करने की कोशिश करते रहते है। इस हेतु प्रार्थीगण उपरोक्त खसरान की जमाबंदी में दर्ज रकबे व मौका स्थिति अनुसार एवं पैमाईश रिपोर्ट अनुसार मुटाम लगवाना चाहता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 06, 7/1 से 7/3, 08, 09 की ओर से श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता ने वकालतनामा तथा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 06, 7/1 से 7/3, 08, 09 की ओर से पेश जवाब प्रार्थनापत्र में निवेदन किया गया कि दिनांक 29.06.2015 के अनुसार यदि पत्थरगढ़ी व सीमांकन किया जाता है तो अप्रार्थीगण तैयार है तथा अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है। अप्रार्थी संख्या 7/4 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उभय पक्षकारान वकुलाय की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान वकुलाय की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण के ग्राम ग्राम देवनगर तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 306 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नं. 308 रकबा 0.11 बीघा खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं नाप्प चौप कर पत्थरगढ़ी हेतु आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देवनगर तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 306 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नं. 308 रकबा 0.11 बीघा भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु टीम गठित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावे। सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु आवश्यक संसाधन प्रार्थीगण उपलब्ध करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 30/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)